

मध्य प्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-15/2010/नियम/चार भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- राज्य के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/मंडलों/स्वायत्त संस्थाओं के अध्यक्षों/उपाध्यक्षों/सदस्यों एवं विधि द्वारा स्थापित आयोगों के अध्यक्षों/उपाध्यक्षों/सदस्यों को देय सुविधाएं ।

संदर्भ- वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक एफ 11-36/2003/नियम/चार, दिनांक 4-2-2006, क्रमांक एफ 12-2/2007/नियम/चार, दिनांक 20-4-2007 एवं दिनांक 10 अगस्त 2011.

--***--

संदर्भित ज्ञापनों द्वारा राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/मंडलों/स्वायत्त संस्थाओं के अशासकीय पदाधिकारियों एवं विधि द्वारा स्थापित आयोगों के अध्यक्षों/सदस्यों को देय सुविधाओं का निर्धारण किया गया है ।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक उपक्रमों /निगमों/ मंडलों/ स्वायत्त संस्थाओं के अध्यक्षों/ उपाध्यक्षों तथा विधि द्वारा स्थापित आयोगों के अध्यक्षों/सदस्यों जो स्वयं के आवास में निवास करते हो और जिनको शासन अथवा संबंधित सार्वजनिक उपक्रम /निगम /मंडल / स्वायत्त संस्था/ आयोगों द्वारा आवास उपलब्ध नहीं कराया गया हो, को भारतीय प्रशासनिक सेवा के सीधे सचिव स्तर पर (ग्रेड पे ₹10,000/- तथा न्यूनतम वेतन ₹42,000/- इस प्रकार कुल ₹52,000/-) न्यूनतम वेतन मानते हुये उनके मुख्यालय जिन स्थानों /शहरों में है उन स्थानों /शहरों हेतु भारत

शासन द्वारा किये गये वर्गीकरण के अनुसार देय गृह भाड़े भत्ते की दर के आधार पर गृह भाड़े भत्ते की पात्रता होगी ।

3/ यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावी होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.एन. मिश्रा)

सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 11-15/2010/नियम/चार
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर, 2011

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राज भवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवलय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल

22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।



(डी.के.सखसैना)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग